



भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान  
(समतुल्य विश्वविद्यालय) पंच मार्ग, ऑफ यारी रोड, वरसोवा,  
अंधेरी (प.) मुंबई - 400 061



दूरभाष : 022-26361446/7/8, फैक्स : 022-26361573, वेब साइट : www.cife.edu.in

फा.सं.19-25/रा.का.समिति /2021

दिनांक : 31जनवरी, 2024

**कार्यालय आदेश/ Office Order**

यह देखा जा रहा है कि संस्थान से जारी होने वाले धारा 3(3) के अंतर्गत कुछ कागजात केवल अंग्रेजी में निर्गत किए गए हैं। इस संबंध में समस्त विभाग /अनुभाग से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963की धारा 3(3) के अंतर्गत निम्नलिखित कागजात केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में ही अनिवार्य रूप से जारी करें।

It is being seen that some documents issued from the Institute under Section 3(3) have been issued only in English. In this regard, all department sections are requested to compulsorily issue the following documents only in bilingual (Hindi-English) under Section 3(3) of the Official Language Act 1963.

क्र.सं.		
1.	सामान्य आदेश	General Orders
2.	संकल्प	Resolution
3.	परिपत्र	Circulars
4.	नियम	Rules
5.	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6.	प्रेस विज्ञापित	Press Release / Communi
7.	संविदाएं	Contracts
8.	करार	Agreements
9.	निविदा प्रारूप	Tender Forum
10.	अनुज्ञप्तियां	Lecences
11.	अनुज्ञा पत्र	Permits
12.	निविदा सूचना	Tenders Notices
13.	अधिसूचनाएं	Notifications
14.	संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन	Reports and documents to be laid before the parliment

अतः सभी विभाग / अनुभाग उपरोक्त कागजात जारी करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उक्त सामग्री द्विभाषी में ही है। इसकी जिम्मेदारी हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारी की मानी जाएगी।

Therefore, before issuing the above documents, all departments/sections should ensure that the said material is in bilingual only. Its responsibility will be considered that of the signing officer.

(मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वरि. श्रेणी))  
C. A. O. (Sr. Grade)

**वितरण /Distribution :**

1. समस्त विभाग / अनुभाग / All HOD / Incharge
2. मु.प्र.अधि. (वरि.श्रेणी) /वरि. प्रशा. अधिकारी/प्रशा. अधिकारी/ सहा. प्रशा. अधिकारी /
3. C.A.O. (Sr.Gd.)/SAO/Admn officer/AAO
4. निदेशक के प्रधान निजी सचिव / संयुक्त निदेशक /PPS/Joint Director
5. गार्ड फाईल / Guard File